न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 65/2016 वाद पत्र

उनवान

1–लेहरू पिता छोगा गुर्जर नि0 डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–जसु पिता छोगा गुर्जर नि0 डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

अधिवक्ता वादीगण

फारूख मोहम्मद

निर्णय

दिनांक 08.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प झड़ोल मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम डांगड़ा पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खातेदार सुखलाल पिता केसरीमल महाजन के खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 168 रकबा 162 बीघा अन्य सह खातेदारो के साथ–साथ दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण मे नकल जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 तक प्रस्तुत है। खातेदार सुखलाल की मृत्यु होने पर उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 24 खोला गया जो कि उनकी पत्नि मांग बाई उर्फ मांगी बाई के नाम दर्ज हुआ जो जमाबन्दी मे दर्ज हुआ है। जिनका उक्त खाते मे 3/8 हिस्सा अन्य सह खातेदारो के साथ था। खातेदार मांग बाई उर्फ मांगी बाई ने अपने 3/8 हिस्से मे से 3/40 हिस्सा हम वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 22.01.1979 को क्रय किया जिसका नामान्तरकरण हम वादीगण के नाम दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या 46 एवं जमाबन्दी संवत् 2046 से 2049 प्रस्तुत है। उक्त नामान्तरकरण के समय अन्य खातेदार नेमीचन्द के वारिसान एवं गुलाब कंवर जो सह खातेदार अम्बा बाई की पुत्री थी जिनके मध्य अपंजिकृत विक्रय पत्र को लेकर विवाद होने से उक्त आराजियात के संबंध मे न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर तथा अन्य न्यायालयो मे वाद चले जिससे नामान्तरकरण संख्या 46, 47 व 48 के निरस्ती का नोट जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 मे लगा लेकिन हम वादीगण द्वारा खरिदी गई भूमि का नामान्तरकण भी उनके साथ साथ निरस्त हो गया जबकि उनका किसी प्रकार से कोई विवाद नही था। हम वादीगण का वक्त क्रय से ही खरीद शुदा हिस्से पर कब्जा बैरोक टोक चला आ रहा है। साबिक आराजी संख्या 168 काफी बड़ा रकबा है जिसमे मांग बाई उर्फ मांगी बाई का 3/8 हिस्सा दर्ज था तथा उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके कोई वारिस नही है। तथा न ही राजस्व रेकार्ड पर है जिससे हम वादीगण खरीद शुदा हिस्सा 3/40 के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। भू प्रबन्ध होने पर साबिक आराजी संख्या 168 के नवीन नम्बर 362, 363, 364, 365, 366,367, 368, 369 कुल किता 08 कुल रकबा 35.00 हे0

कायम हुए। प्रमाण मे नकल मिलान क्षैत्रफल नवीन जमाबन्दी प्रस्तुत है। मृतक खातेदार के कोई वारिसान नही होने से प्रतिवादी राज्य सरकार के प्रतिनिधि होकर भूमिधारी है जिससे उन्हे पक्षकार प्रतिवादी बनाये गया है। अन्य सह खातेदारो के विरूद्ध किसी प्रकार की सहायता इस वाद पत्र मे नही चाही गई हैं जिससे उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। खातेदार कन्हैयालाल व अम्बा बाई के वारिसान के बीच नामान्तरकरण संख्या 46, 47, 48 के संबंध मे जो वाद विचाराधीन थे वो वर्तमान मे पेण्डिग नही है तथा उनके द्वारा न्यायालय मे धारा 88, 89 का वाद पत्र न्यायालय आप मे विचाराधीन है। पूर्व प्रकरणो की आदेश की प्रतिया वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। वाद वर्णित भूमिया ग्राम डांगड़ा तहसील रायपुर मे स्थित होने से एवं पक्षकारान न्यायालय आपकी सीमा क्षेत्र के निवासी होने से उक्त वाद पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको प्राप्त है। वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का होने से प्रतिवादी जो राज्य सरकार का प्रतिनिधि है उनके विरूद्ध बिना नोटिस दिये ही प्रस्तुत किया जा रहा है तथा वाद पत्र के साथ धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 17.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम डांगड़ा पटवार हल्का झड़ोल के खाता संख्या 6 मे वर्णित आराजी संख्या 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369 कुल किता 08 कुल रकबा 35.00 हे0 भूमि मे से 3/40 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

ग्राम डांगड़ा पटवार हल्का झड़ोल के खाता संख्या 6 मे वर्णित आराजी संख्या 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369 कुल किता 08 कुल रकबा 35.00 हे0 भूमि मे से 3/40 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 08.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
08/6/17

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 65 / 2016 वाद पत्र

उनवान

1–लेहरू पिता छोगा गुर्जर नि0 डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2–जसु पिता छोगा गुर्जर नि0 डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादीया द्वारा ग्राम डांगड़ा पटवार हल्का झड़ोल के खाता संख्या 6 मे वर्णित आराजी संख्या 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369 कुल किता 08 कुल रकबा 35.00 हे0 भूमि मे से 3 / 40 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 08.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

08/6/17

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा